


8-8-2025

पत्रावली पेश हुई। छार-छार आवाज
 लगावई गई। वादी स्वयं एवं वकील
 वादी व वादी की ओर से कोई
 उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय
 समाप्त हो पूर्व पुनः छार-छार आवाज
 लगावई गई। फिर भी वादी स्वयं एवं
 वादी की ओर से कोई उपस्थित
 नहीं। अतः वादी का वाद पत्र
 अदम हाफरी अदम पैन्वी में
 खासि किया गया है। पत्रावली
 फैसला सुमाद होकर जज के
 कम होकर हाथिल पकड़ दी


 उपखण्ड अधिकारी
 बसेड़ी (धौलपुर) राज.